

**श्री कुमार नागेन्द्र, मा० सं० वि० प० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न सं०-01/209/429 से उद्भूत
आश्वासन क्र० सं० 01 का उत्तर प्रतिवेदन**

क्र०	प्रश्न	आश्वासन	अद्यतन प्रतिवेदन
क	क्या यह सही है कि अरवल जिला के कुर्था प्रखण्ड में पुनपुन नदी पर निर्मित पंतीत बाँध की ऊँचाई कम रहने के कारण पर्याप्त जल संचयन नहीं हो पाता है।	महोदय वस्तुस्थिति यह है कि अरवल जिला के कुर्था प्रखण्ड अन्तर्गत पंतीत ग्राम के पास पुनपुन नदी पर पंतीत वीयर निर्मित है। जिसके माध्यम से गंगहर पईन में जलश्राव प्रवाहित कर किसानों को सिंचाई की सुविधा मुहैया कराई जाती है। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं इसकी तो हम अलग से फिर से एकबार तो हमने जाँच कराई है और हमारे अधिकारियों ने कहा है कि इसकी ऊँचाई बढ़ाने से भी अब इस प्रणाली से सिंचाई संभव नहीं हो पाएगा और वो गाद हटाने से भी वो पानी आना और रोकना फिर नहरों में जाना संभव नहीं हो पा रहा था। आप समझ सकते हैं कि बाँध बनाया जाता है किसी जलश्राव को रोकने, उसकी ऊँचाई बढ़ाने और फिर उसको जरूरत के हिसाब से पानी छोड़कर सिंचाई करने की तो जो ओरिजिनल सोर्स है पानी का वहीं से हमलोग लाकर डालना चाहते हैं। जो नीचे नहर प्रणाली बनी हुई है, आप को लगता है वो भी संभव नहीं होगा। जरूर हम एक अपने अधिकारी यानि अभियंताओं की टीम को कहेंगे कि स्थल पर जाकर जाँच करेगा, उसमें आपको भी खबर कर देगा। आप अपने विचारों से भी अवगत करा दें।	अद्यतन स्थिति यह है कि— वर्तमान में अरवल जिला के कुर्था प्रखण्ड अन्तर्गत पंतीत गाँव के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रश्नगत स्थल पर नये सिरे से बराज/वीयर के निर्माण हेतु परामर्शी के माध्यम से विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने निमित्त प्रस्ताव मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, गया द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसपर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में केवल खरीफ अवधि के दौरान पुनपुन नदी के जलस्तर में वृद्धि होने पर गंगहर पईन में जल का प्रवाह होता है तथा इससे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाती है।
ख	क्या यह सही है कि यदि इस बाँध की ऊँचाई बढ़ा दी जाय तो जल का संचयन हो पाएगा और आस पास के सैकड़ों गाँवों के किसानों को सिंचाई में काफी लाभ होगा।		
ग	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार पंतीत बाँध की ऊँचाई बढ़ाने या उसी स्थान पर नया बाँध बनाना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :- 26/वि0प0-05-01/2025 पटना/दिनांक
प्रतिलिपि : अवर सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना के पत्रांक-1385 (6) दिनांक-
10.09.2026 के आलोक में अल्पसूचित प्रश्न सं0-01/209/429 से उद्भूत आश्वासन क्र0
सं0-01 का अनुमोदित अद्यतन कार्यान्वयन प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0प0-05-01/2025 पटना/दिनांक :.....
प्रतिलिपि : उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0प0-05-01/2025 पटना/दिनांक :.....
प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0 अंचल-03, जल संसाधन विभाग, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0प0-05-01/2025 5668 पटना/दिनांक :.....28/9/2026.....
प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं
कार्यपालक अभियंता आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


24/9/26
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव